न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 2005 / 2092 / भीलवाड़ा

1. शिवराज पुत्र बदरीलाल
2. नोसरबाई बेवा रामनिवास
3. भैरूलाल पुत्र रामनिवास
4. भूरबाई पुत्री रामनिवास
5. मानबाई पुत्री रामनिवास
6. मनभरी पुत्री रामनिवास
7. संतोकबाई पुत्री रामनिवास

   समस्त जाति पारीक, निवासीगण बच्छखेड़ा, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, भीलवाड़ा
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भीलवाड़ा
3. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, भीलवाड़ा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्रीमती पूनम माथुर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

निर्णय

दिनांक : .10.6.2019

1. यह अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (जिसे आगे **''प्रथम अपीलीय प्राधिकारी''**

कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण संख्या 46/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–04–2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे आगे **''काश्तकारी अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलांट्स ने एक राजस्व वाद विद्वान उपखण्ड़ अधिकारी, शाहपुरा (जिसे आगे **''विचारण न्यायालय''** कहा जायेगा) के न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा खातेदारी मौजा बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में अवस्थित चाह आराजी खसरा नम्बर 940 व 941 रकबा क्रमशः 17 बिस्वा व 3 बिस्वा बाबत् इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आराजी उनकी खातेदारी कब्जा की आराजी हैं। दोनों खसरा नम्बरान् की वाद में सीमायें दर्शाते हुए यह कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 940 का कुल रकबा 17 बिस्वा है, खसरा नम्बर 941 जिसका रकबा 3 बिस्वा है, से वादीगण अपने कृषि भूमि की पिलाई करते आ रहे हैं। आराजी खसरा नम्बर 940 बन्दोबस्त से पहले से ही बना हुआ है जिसका पट्टा सन् 1949 साबिक खसरा नम्बर 1366 व 1365 का वादीगण को दिया गया है। वादीगण ने उक्त बेरा अर्थात कुओं का समय–समय पर सुधारा है जिसकी करीब 25 हजार की लागत वादीगण को लगी है। आराजी खसरा नम्बर 940 के पास ही सड़क बनाई जा रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 941 को ध्वस्त करने का इरादा करते हुए वादीगण को एक नोटिस दिनांक 11.02.87 को दिया कि वह खसरा नंबर 941 को अवाप्त करने जा रहे है यदि उनको कोई एतराज हो तो शाहपुरा न्यायालय में आकर अपना जवाब देवें। वादीगण ने अपने वाद में यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर जी, भीलवाड़ा ने वादीगण को 669/– रू. मुआवजा के देकर कुआं वादीगण से अवाप्त करने को कहा। वादीगण ने न तो मुआवजा लेने की इच्छा व्यक्त की और न कुआं छोड़ने को ही कहा।

प्रतिवादीगण ने जबरन से आराजी खसरा नम्बर 940 पर बने हुये कुएं को छोड़ते हुये आराजी खसरा नम्बर 941 को ध्वस्त कर दिया। वादीगण ने यह खसरा नम्बर 941 को ध्वस्त करने के बाद अब खसरा नम्बर 940 को भी ध्वस्त करने पर उतारू है। इस कारण उनको यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रतिवादीगण ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया एवं वादी के कथनों को अस्वीकार करते हुये यह कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि यद्यपि वादीगण की खातेदारी की भूमि है किन्तु अवाप्ती अधिकारी द्वारा यह भूमि अवार्ड जारी करते हुये अधिग्रहण कर ली है, ऐसी स्थिति में यह वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। अभिकथनों के आधार पर कुल 5 तनकीयात कायम की गई। दोनों पक्षों ने दस्तावेजी सबूत एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करवायी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपखण्ड़ अधिकारी, शाहपुरा ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.11.2002 द्वारा वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री करते हुये वादीगण को जब तक मुआवजा की राशि अदा नहीं करें, विवादग्रस्त भूमि पर निर्माण नहीं किये जाने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की, साथ ही वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखलन्दाजी नहीं करने से पाबन्द किया। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 ने उपखण्ड़ अधिकारी, शाहपुरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.11.2002 से व्यथित होकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा के यहां अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील अधिकारी जी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.05 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एंव डिक्री को क्षेत्राधिकार के बाहर मानते हुए निरस्त कर दिया इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि विद्धान उपखण्ड़ अधिकारी, शाहपुरा ने प्लीडिग्स् के आधार पर कुल 5 तनकीयात कायम की थी। दोनों पक्षों के साक्ष्य पर विचार करते हुये अपीलान्ट्स का वाद विरूद्व रेस्पोन्डेन्ट्स डिक्री किया था परन्तु राजस्व अपील अधिकारी ने न तो उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन, विश्लेषण किया व न साक्ष्य पर विचार किया। उपखण्ड़ अधिकारी, शाहपुरा ने तनकी नम्बर 3 व 4 का निर्णय बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण दिया है, उन्होंने यह माना है कि प्रतिवादीगण ने कब्जा प्राप्त किये जाने संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत ही भूमि अवाप्त की जा सकती है, केवल मात्र भूमि अवाप्त किये जाने हेतु जिला कलक्टर द्वारा नोटिस दिये जाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि भूमि अवाप्त कर ली गई है। राजस्व अपील अधिकारी जी को वादीगण का वाद खारिज करने के पहले भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत वादीगण के विरूद्व कार्यवाही चली या नहीं इस पर अपना निर्णय पहले देना चाहिये था तत्पश्चात् ही वे यह निर्णय दे सकते थे कि उपखण्ड़ अधिकारी जी का निर्णय एवं डिक्री क्षेत्राधिकार रहित है या नहीं। प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था वह अति संक्षिप्त इवेसिंग था, ऐसे जवाब दावे के अनुसार वादीगण के कथनों को डिनाइल नहीं माना जा सकता था। प्रतिवादीगण की ओर से कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि जवाब दावा में उनके कथनों की पुष्टि होती हो। राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय आदेश 41 नियम 31 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की रिक्वायरमेन्ट के अनुसार नहीं है। इन्होंने अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्णय व डिक्री निरस्त करने एवं विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत रखने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक महोदया ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अवाप्त हो चुकी है तथा मुआवजे के संबंध में रेफरेन्स भी जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 02–12–91 द्वारा खारिज किया जा चुका हैं। प्रकरण भूमि अवाप्ति से संबंधित होने के कारण राजस्व न्यायालय की अधिकारिता नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष अवाप्ति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे परन्तु विचारण न्यायालय ने उन पर कोई विचार नहीं किया। इन्होंने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में वादी का वाद इस बिन्दु पर आधारित था कि मौजा बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा खसरा नम्बर–940 एवं खसरा नम्बर–941 रकबा क्रमशः 17 बिस्वा व 3 बिस्वा वादी की खातेदारी में है जिस पर प्रतिवादीगण सड़क आदि बना रहे हैं। अतः उन्हें इस भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि में दखल करने से पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से यह कथन किया गया है कि भूमि आवाप्त अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर–940 का 1 बिस्वा व खसरा नम्बर–941 का 3 बिस्वा दिनांक 14–04–1987 को अवाप्त हो चुका है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15–11–2002 द्वारा वाद वादीगण डिक्री किया है जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 20–04–2005 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय खारिज किया गया है।

प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि खसरा नम्बर–940 व 941 का रकबा आवाप्तशुदा है या नहीं। विचारण

न्यायालय की पत्रावली के पार्ट–सी के पृष्ठ संख्या–13 पर अवार्ड क्रमांक–63 दिनांक 14–04–1987 के प्रति उपलब्ध है जिसमें ग्राम बच्छखेडा के खसरा नम्बर 940 की 1 बिस्वा व खसरा नम्बर–941 की 3 बिस्वा भूमि का अवार्ड जारी हुआ है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अवधारित किया है कि क्योंकि खातेदारान/वादीगण ने मुआवजा प्राप्त नहीं किया है जिससे नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया है जब भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी हो गया है तो खातेदार मुआवजा प्राप्त करें या नहीं करें, इस आधार पर अवाप्ति की प्रक्रिया को राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं रोका जा सकता। इस प्रकार खसरा नम्बर–940 का 1 बिस्वा व खसरा नम्बर–941 का 3 बिस्वा भूमि आवाप्तशुदा होना प्रमाणित है जिससे विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं है जिसे अपास्त करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है।

8. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नत्थू राम)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य